	मद	1993-94	1994-95	1995-96 (जून, 95 तक)
3.	गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	3777.81	1326.13	155.29
4.	चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण	7750.06	5026.60	436.50
		11664.74	6646.05	612.60

राज्यों द्वारा गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की मांग

189. **श्री नागमणिः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत चार महीनों के दौरान, प्रत्येक राज्य द्वारा गेहूं, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल की वस्तु-वार तथा मास-वार कितनी-कितनी मात्रा में मांग की गई है तथा इन राज्यों को उनकी कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं का कम आवंटन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) **गेहूं और चावल** राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। यह आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई मांग, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संगत घटकों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय पूल से किए जाने वाले आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं, इनका उद्देश्य किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की पूरी मांग को पूरा करना नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाई गई मात्रा सामान्यतः आवंटित मात्रा से कम रहती है। राज्य द्वारा दी गई मांग अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर दी हुई होती है और इससे वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती है। पिछले चार माह (फरवरी-मई, 1996) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान बताने वाले विवरण अनुपत्रों में संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 9 और 10]**

चीनी

फिलहाल, आंशिक नियंत्रण के अधीन अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन एक-समान मानदण्डों पर किया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार 1.1.1996 से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी उपलब्ध हो। तथापि, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चल रही विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक लेवी चीनी के आवंटन की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का लेवी चीनी का मासिक कोटा लगभग 3.69 लाख मीटरी टन बैठता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रत्येक वर्ष त्योहार कोटे के रूप में भी लगभग एक लाख मीटरी टन चीनी रिलीज करती है जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके लेवी कोटे के अनुपात में उनकी पसंद के महीने में आवंटित किया जाता है।

उपर्युक्त के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पिछले चार महीनों अर्थात् फरवरी—मई, 1996 के दौरान लेवी चीनी का आवंटन किया गया है। लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे और वार्षिक त्योहार कोटे को बताने वाला विवरण अनुपत्र पर दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 11]**

मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववृत्त के आधार अर्थात्, पिछली आपूर्तियों के आधार पर, किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि जैसी बाधाओं के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिर भी, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा सम्पूर्ण देश के लिए समग्र रूप में मिट्टी के तेल के आवंटन में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिनमें प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता कम थी उनको अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी और इसके विपरीत भी आवंटन किया गया था।

पिछले चार महीनों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए मिट्टी के तेल के आंकड़े अनुपत्र में दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 12]**

दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

190. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्थापित विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन न्यायालयों के कथित प्रभावहीन कार्यकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियां तथा न्याय अधिकार क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संगत उपबंधों के तहत शासित होते हैं, जिनमें उन शिकायतों के बारे में निर्णय करने की शक्ति शामिल है, जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य तथा दावाकृत मुआवजा, यदि कोई हो तो उसकी रकम पांच लाख रुपए से अधिक न हो। जिला मंच I के क्षेत्राधिकार में उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, केन्द्रीय तथा उत्तर-पश्चिम पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते है तथा जिला मंच II के क्षेत्राधिकार में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा नई दिल्ली पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में जिला मंच संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने की दृष्टि से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दो और जिला मंच स्थापित करने का निर्णय किया है।

आयातित सामान का मूल्य

191. **श्री इकबाल सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक सरकार ने कितने मूल्य का सामान विदेशों से आयात किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष आयात किए गए सामान का मूल्य पिछले वर्ष, अर्थात 1994-95 में आयातित सामान से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो यह आयात कितना ज्यादा है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) डी जी सी आई एस के अनुमानों के अनुसार अप्रैल-मई, 96 के दौरान कुल आयात (चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़े) 6.3 बिलियन यू एस डालर के हुए। 1995-96 के दौरान कुल आयात 36.4 बिलियन यू एस डालर मूल्य के हुए जो 1994-95 में हुए कुल आयातों से 26.9% अधिक हैं।

(ग) आयातों में वृद्धि का प्रमुख कारण आवश्यक वस्तुओं जैसे-पेट्रोलियम और उर्वरक, द्रव्यमान उपभोक्ता वस्तुएं जैसे-खाद्य तेल और पूंजीगत वस्तुओं का अधिक आयात। त्वरित औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के लिए आवश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान का अधिक आयात होना है।

(घ) घरेलू उत्पादन और निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति और संवर्धनात्मक योजनाओं के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में उत्पादित